रजिस्ट्री सं. डी.-(डी एन.)-128

REGISTERED NO. D (D N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1987/श्रावण 3, 1909

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1987/SRAVANA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—*Section 3—Sub-section (i)*

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली 16 अप्रैल, 1987

सा का नि 557—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1969 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग विधि साहित्य प्रकाशन समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 लागू होना ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

नई दिल्ली, 25 जून, 1987

सा.का.नि. 572.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, आकाशवाणी (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) संशोधन नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) नियम, 1983 के अनु. नि. 317-26-न-9 के उपनियम (1) की सारणी में, —

(क) (i) "सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी" से संबंधित मद (ii) के सामने स्तम्भ (2) में "2 मास" अंक और शब्द के स्थान पर "4 मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "आबंटिती की मृत्यु" से संबंधित मद (iii) के सामने, स्तम्भ (2) में, "4 मास" अंक और शब्द के स्थान पर "6 मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनु.नि. 317-26-न-10 में, परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्त स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी की दशा में, पहले परन्तुक में यथादर्शित अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर अतिरिक्त प्रतिधारण की अवधि चार मास से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. सं. 949, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) सं. 37, नई दिल्ली, तारीख 8 सितम्बर, 1984 द्वारा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

[फा.सं. डी-11014/45/73-ए एंड जी]
वी.के. अरोड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 25th June, 1987

G.S.R. 572.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Allotment of Residential Quarterms) Rules, 1983, in the Table to sub-rule (1) of S.R. 317-XXVI-T-9,—

(a)(i) against item (ii) relating to "Retirement or terminal leave", in column 2, for the figure and word '2 months', the figure and word '4 months' shall be substituted ;

(ii) against item (iii) relating to "Death of the allottee", in column 2, for the figure and word '4 months', the figure and word '6 months' shall be substituted.

(b) in S.R. 317-XXVI-T-10, after the proviso the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in the event of retirement or terminal leave, the period for further retention on payment of licence fee as indicated in the first proviso shall not be exceeding 4 months."

NOTE.—Principal rules were published under the notification of the Government of India of the Ministry of Information and Broadcasting vide G.S.R. No. 949, Part II, Section 3, Sub-section (i) No. 37 dated New Delhi 8th September, 1984.

[F. No. D-11014/45/73-A&G]
V. K. ARORA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987